# अध्याय IX: भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय

## भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

### *9.1 क्षतिपूर्ति का परिहार्य भुगतान*

***ग्राहक की वास्तविक प्रचालन आवश्यकताओं का आकलन किए बिना ट्रांसफार्मर डिजाईन करने के साथ-साथ सुधारात्मक उपाय करने में विफल रहने के परिणामस्वरूप ₹ 163.17 करोड़ का परिहार्य भुगतान हुआ।***

मै. भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) को 5.96 मिलियन यूएस डालर के निविदा मूल्य पर मै. जेस्को लिमिटेड, जॉम्बिया से 10 मुख्य ट्रांसफार्मरों की आपूर्ति एवं स्थापन, दो मौजूदा सहायक ट्रांसफार्मरों के पुनर्स्थापन और इसके केफ जॉर्ज पावर स्टेशन हेतु प्रशिक्षण का आदेश प्राप्त हुआ (मई 2003)। बीएचईएल ने मार्च 2006 और मई 2008 के बीच ट्रांसफार्मरों की आपूर्ति एवं उनका स्थापन कर दिया। हालांकि, 2006 में तीन ट्रांसफार्मरों में समयपूर्व खराबी एवं 2008 में एक अन्य ट्रांसफर्मर में खराबी के बाद मै. जेस्को ने सभी ट्रांसफार्मरों पर ''डिजाल्व्ड गैस इन ऑयल'' (डीजीए) विश्लेषण करने के लिए सलाहकारों को नियुक्त किया। सलाहकारों ने निष्कर्ष दिया (जनवरी/फरवरी 2009) कि 10 में आठ ट्रांसफार्मरों के डीजीए सिग्नेचर ''अस्वीकार्य'' थे और यह दर्शाता था कि इसमें वास्तविक तापीय त्रुटि या 'संदेहास्पद था' जो या तो 'तापीय त्रुटि का विकास' और/या 'हाइड्रोकार्बन का असामान्य स्तर' या उच्च 'नमी तत्व और निम्न डीइलेक्ट्रिक स्ट्रेन्थ' इंगित करता था। तदनुसार, मै. जेस्को ने जीसीसी की धारा 27.2 के उद्देश्य से ओवरहीटिंग कमी संबंधी निविदा की सामान्य शर्तों (जीसीसी) की धारा 27.4 के अनुसार बीएचईएल को नोटिस भेजा (मार्च 2009)। चूँकि दोनों पक्ष मामले को सुलझाने में विफल रहे, अतः मै. जेस्को ने बीएचईएल के विरूद्ध मुकदमा कर दिया (मई 2012)।

लेखापरीक्षा ने देखा कि बीएचईएल ने स्वीकार किया (सितम्बर 2009) कि इसने यह मानते हुए ट्रांसफार्मर बनाये थे कि दोनों एलवी वाइडिंग समान क्षमता के साथ बराबर लोड ले सकेंगे, चूँकि एकल लोडिंग स्थिति अथवा दो जेनरेटरों द्वारा एलवी वाइंडिंग की असमान लोडिंग का कोई उल्लेख नहीं था, और क्लैम्पप्लेटस का गरम होना ट्रांसफार्मरों में उच्च डीजीए गैसो का कारण प्रतीत हो रहा था। दूसरी ओर, मै. जेस्को का मानना था

(नवम्बर 2009) कि विशेषता में भले ही असमान लोडिंग का उल्लेख न किया गया हो लेकिन इसमे समान लोडिंग का भी उल्लेख नहीं किया गया। इस प्रकार, बीएचईएल द्वारा लगाया गया अनुमान यथार्थ था और इसे ट्रांसफार्मर की वास्तविक डिजाइन से पूर्व उनको बताया जाना चाहिए था।

मध्यस्थता अधिकरण ने प्रस्तुत साक्ष्यों की जांच की, दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और निष्कर्ष दिया (दिसम्बर 2014) कि बीएचईएल, मै. जेस्को के साथ मिलकर त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई करने में विफल रहा। इसने निष्कर्ष दिया कि मार्च 2009 से 16 महीनों की अवधि में बीएचईएल (i) यह कहता रहा कि डिजाइन में कोई कमी नहीं थी, (ii) समान लोड के आधार पर ट्रांसफार्मरों को चलाने पर लगातार जोर देता रहा, और (iii) समान बनाम असमान लोडिंग अथवा अनुमत लोडिंग असंतुलित सीमा का आरएण्डडी विभाग द्वारा इलेक्ट्रोमैग्रेटिक विश्लेषण प्रदान करने या कोई रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहा और कई सलाहकार रिपोर्टों पर कोई प्रतिक्रियात्मक जांच नहीं की गई और न ही कोई अन्य यथार्थ प्रस्ताव दिया गया। अतः बीएचईएल द्वारा क्षतिपूर्ति देने के निर्देश (जून 2015) के साथ मै. जेस्को के पक्ष में निर्णय दिया गया (दिसम्बर 2014) जो मुकदमे से जुड़े अन्य खर्चों और 10 ट्रांसफार्मरों को बदलने की लागत के प्रति ₹ 163.17 करोड़ बनता था (31 दिसम्बर 2015)।

बीएचईएल ने बताया (नवम्बर 2015) कि ट्रांसफार्मरों के सक्रिय भाग के बाहर 2006 में हुई तीन विफलतायें ठीक की गई। 2006 में किए गए मरम्मत कार्य के दौरान कॉपर स्ट्रिप के असावधानी वश आने के कारण 2008 में खराबी आई थी, और मै. जेस्को को ट्रांसफार्मर की गुणवत्ता पर संदेह था और 2009 में इसने सलाहकार नियुक्त कर दिया, जबकि ग्राहक द्वारा दावा की गई खराबी संदेहास्पद थी और सिद्ध नहीं हो सकी। न्यायाधिकरण ने फ्लिच प्लेट्स में काले निशान होने के कारण बीएचईएल के विरूद्ध निर्णय दिया और महसूस किया कि यह डिजाइन में अंतर्निहित त्रुटि के कारण था, जो सभी ट्रांसफार्मरों मे सामान्य कारक है। आगे यह कहा गया कि जॉम्बिया लॉ फर्म और लंदर के बीएचईएल के वकील से ली गई राय के अनुसार निर्णय को चुनौती देने का विकल्प बहुत सुदृढ़ नहीं था और ठेके के अनुसार बीएचईल को मै. जेस्को को बकाए का भुगतान करना होगा।

उत्तर को इस तथ्य के मद्देनजर देखा जाए कि बीएचईएल चूक की नोटिस प्राप्त करने के तीन वर्षों के अंदर भी सुधारात्मक कदम उठाने में विफल रहा, जबकि इसने मान लिया था (सितम्बर 2009) कि ट्रांसफार्मर यह मानते हुए डिजाइन किया गया था कि दोनों एलवी वाइंडिंग समान क्षमता के साथ बराबर लोड की जाएंगी लेंगी और मै. जेस्को की वास्तविक प्रचालन आवश्यकताओं को सुनिश्चित किए बिना ऐसा माना गया था।

इस प्रकार, मै. जेस्को की वास्तविक प्रचालन आवश्यकता को सुनिश्चित किए बिना यह मानते हुए कि ट्रान्सफार्मर समान क्षमता के साथ बराबर लोड आधार पर प्रचालित किये जाएंगे और खराबी से तीन वर्षों के भीतर भी सुधारात्मक कार्रवाई करने में बीएचईएल की विफलता के परिणामस्वरूप क्षतिपूर्ति के प्रति ₹ 163.17 करोड़ का परिहार्य भुगतान करना पड़ा।

मामला जनवरी 2016 में मंत्रालय की जानकारी में लाया गया, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2016)।

## *9.2 बिक्री कर के भुगतान पर परिहार्य व्यय*

**अवे सेंटर फैब्रिकेशन (एसीएफ) प्रेषणो हेतु कर की प्रतिपूर्ति के लिए करार में सक्षम खण्ड को सम्मिलित करने की विफलता के परिणामस्वरूप कम्पनी ने ₹ 11.27 करोड़ का परिहार्य व्यय वहन किया।**

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड (कम्पनी) ने मारवा तथा कोर्बा वेस्ट थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए बॉयलर टर्बाइन जनरेटर, इलेक्ट्रिकल्स, स्टेशन कंट्रोल एंड इस्ट्रूमेंटेशन तथा अनिवार्य स्पेयर की आपूर्ति के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड (सीएसपीजीसीएल) से क्रमश: ₹ 1845 करोड़ तथा ₹ 942 करोड़ (सभी करो तथा शुल्को को छोड़कर) के लिए दो अनुबंध प्राप्त किए (अप्रैल 2008)। तदनुसार, कम्पनी ने सीएसपीजीसीएल के साथ एक करार किया (सितम्बर 2009) तथा स्ट्रक्चरल और डक्टिंग मदो की 62369 एमटी की आपूर्ति के लिए अपने हाई प्रैशर बॉयलर प्लांट (यूनिट) तिरूचीरापल्ली को ₹ 851 करोड़ आवंटित किए। इनका निर्माण अवे सेंटर फ्रेब्रिकेशन (एसीएफ) विक्रेताओं द्वारा कम्पनी की रूपरेखा के अनुसार उनकी अपनी सामग्री का उपयोग करके किया जाना था तथा एसीएफ विक्रेताओं से साइट को सीधे प्रेषित करना था।

करार के निबंघनों तथा ठेके की सामान्य शर्तो (जीसीसी) के अनुसार, अनिवार्य स्पेयर सहित बीएचईएल के निर्मित मदो पर लागू रूप से 100 प्रतिशत करो तथा शुल्को की संतोषजनक दस्तावेजी प्रमाण की प्रस्तुति पर वास्तव में सीएसपीजीसीएल द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी। जीसीसी ने यह भी अनुबंधित किया कि सीएसपीजीसीएल सभी लागू करो तथा शुल्को की सीएसपीजीसीएल तथा कम्पनी के बीच सीधे संव्यवहारो के संदर्भ में वास्तव में प्रतिपूर्ति करेगा। हालांकि, एसीएफ आपूर्तियों पर बिक्री कर की प्रतिपूर्ति सीएसपीजीसीएल के साथ हस्ताक्षरित करारो के अन्तर्गत नहीं आती थी।

कम्पनी द्वारा बिलिंग ब्रेकअप (बीबीयू) स्वीकृति के स्तर के दौरान एसीएफ परिचालनो के लिए प्रस्ताव की स्वीकृति के समय (जनवरी/फरवरी 2009) लिया गया तथा बीबीयू स्वीकृति की प्राप्ति के पश्चात कम्पनी ने एसीएफ आपूर्तियों को प्रारम्भ किया। शुरूआत में, सीएसपीजीसीएल ने एसीएफ आपूर्तियों (मारवा ₹ 7.14 करोड़ तथा कोर्बा ₹ 4.13 करोड़) पर वैट/सीएसटी की तरफ ₹ 11.27 करोड़ की राशि के बिक्री कर की प्रतिपूर्ति की। परन्तु बाद में इसने पहले प्रतिपूर्ति किए गए बिक्री कर की यह कहते हुए वसूली की (अक्तूबर 2010) कि एसीएफ मदों पर बिक्री कर प्रतिपूर्ति जीसीसी/करार के अनुकूल नहीं थी।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि जीसीसी के अनुसार एसीएफ प्रेषित मदो पर बिक्री कर की प्रतिपूर्ति नहीं  की गई थी, इस तथ्य को जानने के बावजूद (जनवरी 2009) बीएचईएल ने सीएसपीजीसीएल के साथ करार करते समय इसे कवर करने के लिए उचित खण्ड सम्मिलित करने हेतु  कोई कार्रवाई नहीं की जिसके परिणामिस्वरूप ₹ 11.27 करोड़ के परिहार्य बिक्री कर का भुगतान हुआ।

लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए बीएचईएल ने अपने उत्तर में कहा (अगस्त 2015) की 2008 में अवे सेंटर फेब्रिकेशन (एसीएफ) की अवधारणा विकासोन्मुख स्तर में थी तथा एसीएफ परिचालनों के लिए उस प्रस्ताव को स्वयं बिलिंग ब्रेकअप (बीबीयू) मंजूरी के स्तर के दौरान लिया गया था। इसके अलावा, यह इसकी उगाही के लिए पावर सेक्टर मार्केटिंग, नई दिल्ली के साथ-साथ ग्राहक के साथ आगे की वार्ता करेगा।

कम्पनी के उत्तर की निम्नलिखित तथ्यों के संदर्भ में समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है:

- हालांकि, ठेका अप्रैल 2008 में दिया गया था तथापि, करार पर हस्ताक्षर केवल सितम्बर 2009 में किए गए थे।

- कम्पनी ने सीजीएसपीसीएल के साथ करार में करो तथा शुल्को की प्रतिपूर्ति पर विशिष्ट नियमों का वर्णन किया परन्तु मारवा और कोर्बा थर्मल पावर प्रोजेक्टों को एसीएफ प्रेषणों के लिए करो की प्रतिपूर्ति हेतु खण्ड को सम्मिलित करने में विफल रही।

- इसके अलावा, एमपी पावर जेनरेटिंग कम्पनी लि. के साथ किए समान करार में (फरवरी 2009), बीएचईएल ने कर की प्रतिपूर्ति के लिए ग्राहक से मंजूरी प्राप्त करने (जुलाई 2009) के पश्चात एसीएफ प्रेषणों का प्रयोग करा।

- ठेका में संशोधन (जो इस स्तर पर संभव नहीं होगा) प्राप्त किए बिना उगाही करना सुदूर है।

इस प्रकार, एसीएफ प्रेषणो के लिए करो की प्रतिपूर्ति हेतु करार में सक्षम खण्ड सम्मिलित करने में बीएचईएल की विफलता के परिणामस्वरूप कम्पनी ने बिक्री कर के भुगतान की ओर ₹ 11.27 करोड़ का परिहार्य व्यय वहन किया।

***सिफारिश:***

- ***कम्पनी उप-विक्रेता/एसीएफ यूनिट कार्यो द्वारा आपूर्ति/निर्मित की गई मदो के लिए बिक्री कर की वसूली/प्रतिपूर्ति के लिए उचित खण्ड सम्मिलित कर सकती है।***

मामला मंत्रालय को दिसम्बर 2015 में भेजा गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2016)।

## *9.3 रेल वैगन की खरीद पर निरर्थक व्यय*

**बीएचईएल द्वारा अभावपूर्ण योजना बनाने तथा फलस्वरूप विशेष रेल वेगन का उपयोग न करने के परिणामस्वरूप वैगन की खरीद पर ₹ 8.07 करोड़ का निरर्थक व्यय हुआ**

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड-हाई प्रेशर बॉयलर प्लांट-तिरूचीरापल्ली (यूनिट) के पास ओवर-डीमेनशनल कंसाइन्मेट (ओडीसी) के रूप में देश के अन्य भागो के लिए त्रिची यूनिट से बॉयलर ड्रम के परिवहन के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए 260 टन की धारण क्षमता (₹ 56.04 लाख लागत पर 1984 में अधिग्रहित) वाले एक 24 एक्सल विशेष वैगन है। इस वैगन का अत्यंत कम उपयोग हुआ क्योंकि 2009-10 में केवल तीन बॉयलर ड्रमो का परिवहन किया गया था तथा 2010-11 के बाद किसी बॉयलर ड्रम का परिवहन नहीं हुआ।

बीएचईएल की पावर सेक्टर मार्केटिंग (2006) ने सब-क्रिटिकल बॉयलरो की बढ़ती संख्या के प्रक्षेपण तथा भारी परेषणों के लिए भारत में अनुपयुक्त सड़क अवसरंचना के कारण एचपीबीपी में बॉयलर शॉप फेस II की क्षमता संवर्धन के तहत 300 टन ड्रम परिवहन रेल वैगन की खरीद के लिए एक व्यवसाय प्रक्षेपण किया। इस नीति को निदेशक मंडल द्वारा 25.05.2007 को मंजूर किया गया।

बॉयलर शॉप (फेस-2) की क्षमता संवर्धन के लिए नीति के तहत वैगन के कम उपयोग के बावजूद, त्रिची यूनिट ने ₹ 8.07 करोड़ की लागत पर कम्पनी की झांसी यूनिट से 300 टन ड्रम परिवहन रेल वैगन की खरीद की (जुलाई 2009)।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि:

(i) क्षमता संवर्धन योजना (फेस-2) के उद्देश्यों में से एक 800 एमडब्ल्यू से 1000 एमडब्ल्यू तक के "वन्स थ्रू सुपर क्रिटिकल टेक्नोलाजी" जिसमें कोई ड्रम सम्मिलित नहीं है, के माध्यम से हायर रेटिंग बॉयलर बनाने के लिए क्षमता को बढ़ाना था। इस प्रकार, 300 टन ड्रम ट्रांसपोर्टेशन रेल वैगन की खरीद आवश्यकता के अनुसार नहीं थी।

(ii) प्रबंधन ने भारत में सड़क अवसंरचना के परिवर्तित परिदृश्य में अपनी आवश्यकता के पुन: निर्धारण के बिना जुलाई 2009 में बीएफईएल, झांसी को 300 टन ड्रम ट्रांसपोर्टेशन वैगन के लिए खरीद आर्डर दिया।

(iii) अभी तक इस वैगन द्वारा एक भी बॉयलर ड्रम का परिवहन नहीं किया गया (अगस्त 2014)।

बीएचईएल ने इस आधार पर खरीद को उचित ठहराया (फरवरी 2013) कि 2009-10 से पूर्व भारत में सड़क अवसंरचना भारी परेषणों के परिवहन के लिए उचित नहीं थी तथा देश में केवल मैकेनिकल ट्रेलर उपलब्ध थे। इसी बीच में, सड़क अवसंरचना ने विकास करना आरम्भ किया तथा हाइड्रॉलिक एक्सलो वाले वाहन प्रस्तावित किए तथा सड़क से बायॅलर ड्रमो के परिवहन को सफल तथा मितव्ययी पाया गया। इसके अलावा, बीएचईएल को ड्रम के उपयोग से अधिक प्रभारो में ₹ 86 लाख की वार्षिक बचत प्राप्त की जाएगी। बीएचईएल ने यह भी कहा (अगस्त 2014) कि चूंकि सभी रनिंग आर्डर सुपर क्रिटिकल बायॅलर थे जिसमें कोई ड्रम सम्मिलित नहीं था, अत: 300 टन ड्रम वैगन उपयोग नहीं किया जा सकता है। बीएचईएल ने दोहराया (नवम्बर 2014) कि 13वीं पांच वर्षीय योजना जहां सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी अपनाई गई थी, के परिदृश्य में ड्रम परिवहन के लिए विशेष रेल वैगन की उपयोगिता कम हो गई है।

उत्तर को इस तथ्य के मद्देनजर देखा जाना चाहिए कि आदेश देने के समय पर प्रचलित स्थिति का पुनर्मूल्यांकन किए बिना 2006 में किए व्यवसाय प्रक्षेपण के आधार पर जुलाई 2009 में वैगन के लिए खरीद आदेश दिया गया था।

इस प्रकार, वैगन की खरीद के लिए दोषपूर्ण योजना के परिणामस्वरूप ₹ 8.07 करोड़ का निरर्थक व्यय हुआ।

मामला मंत्रालय को अक्टूबर 2015 में भेजा गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2016)।